न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 15/2016

1. मनभीर सिंह पुत्र भाग सिंह उर्फ भागा सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।
2. कुलदीप सिंह पुत्र भाग सिंह उर्फ भागा सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. मनजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत सिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।
2. भाग सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।
3. सुखविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।
4. बलराज सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।
5. बलविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।
6. परमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।
7. हरपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ एफ तहसील श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 14.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 15 एफएफ के मु.न. 32 के किला न. 4 ता 7 व 15 सालम-सालम व किला न. 25 में आराजी प्रार्थीगण संख्या 1 मनभीर सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 15 एफ एफ के मु.न. 32 के किला न. 1 ता 3, 8,16 सालम-सालम व इसी चक के मु.न. 32 के किला न. 9,10 प्रत्येक सालम-सालम आराजी प्रार्थीगण संख्या 2 कुलदीप सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 15 एफ एफ के मु.न. 33 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टर में से अप्रार्थी संख्या 1 मनजीत सिंह के नाम 5.208 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 2 भाग सिह के नाम 1.054 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 3 सुखविन्द्र सिंह के नाम 0.025 हैक्टर, एंव अप्रार्थी संख्या 4 बलराज सिंह के नाम 0.038 हैक्टर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 15 एफ एफ के मु. न. 31 की कुल 4.743 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 0.354 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 1.075 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 0. 074 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1.075 हैक्टर, नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 अपने मुं0 नं0 32 के रकबा को कास्त करने के लिए गत् 30-35 वर्ष से मुं0नं0 33 के किला नं0 33 के किला नं0 21 ता 25 के साथ-साथ दक्षिण दिशा में चली आ रही सड़क से होकर मुं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 में चल रहे 2-2 बिस्वा रास्ता व मुं0 32 के किला नं0 25 के दक्षिण दिशा में चल रहे 1 बिस्वा रास्ते से होकर अपने मुं0 नं0 32 के रकबा को कास्त करने के लिए आवागमन् करते है। यह रास्ता मौके पर चालू है व प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 2 इस रास्ता को गत् 30-35 वर्षो से बिना किसी रूकावट से शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करते आ रहें है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 को इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 व 7 से मिलकर इस रास्ता को स्वीकृत करवाने को कहॉ तो उन्होने इनकार कर दिया और कहा की वह इस रास्ता को बन्द करके रहेगें। यदि उन्होने ऐसा किया तो प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने में असुविधा होगी। और ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस लिए प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी है। आज से 2 रोज पूर्व पुनः प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 7 से मिले ओर रास्ता स्वीकृत करने बाबत् कहा तो उन्होने स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए श्रीमान् जी के न्यायालय में रास्ता स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना जरूरी हो गया। यदि इस चक 15 एफएफ के मुं0 नं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 में से 2-2 बिस्वा मुं0 नं0 32 के किला नं0 25 में 1 बिस्वा रास्ता कुल 11 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 इस 11 बिस्वा भूमि के बदले नियमानुसार निर्धारित कीमत देने को तैयार है अथवा अप्रार्थी संख्या 2 अपने मुं0 नं0 33 के रकबा में से 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 7 को देने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो पूर्ण कोट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 15 एफएफ के मुं0नं0 33 के किला नं0 5.6.15.16,25 में 2-2 बिस्वा व मुं0 नं0 32 के किला नं0 25 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर इस रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से दलजीत सिंह बराड़ एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 1,3,4,5,7 की और से राजेन्द्र सिंह रमाणा एडवोकेट उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3160 दिनांक 15.11.2016 से रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 15 एफएफ की जमाबन्दी सवंत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 59 में दर्ज मुं0नं0 33 का कुल 6.325 हैक्0 रकबा में मंजीत सिंह पुत्र इन्द्र सिंह 5.208 हैक्0 भाग सिंह पुत्र तेजा सिंह 1.054 हैक्0 सुखविन्द्र सिंह 0.025 हैक्0 बलराज सिंह 0.038 हैक्0 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। व इसी चक के खाता संख्या 94 का कुल 9.563 हैक्0 में मुं0नं0 32 में किला नं0 25/1 रकबा 0.126 हैक्0 भूमि हरपाल सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम खातेदार दर्ज है। प्रार्थी मनभीर सिंह स्वयं के नाम चक 15 एफएफ के मुं0नं0 32 के किला नं0 4 ता 7 व 15,25 कुल रकबा 1.391 हैक्0 प्रार्थी कुलदीप सिंह पुत्र भाग सिंह साकिन 12 एफएफ के स्वयं के नाम चक 15 एफएफ के मुं0नं0 32 के किला नं0 1 ता 3,8,16 कुल रकबा 1.265 हैक्0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता मुं0नं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 व मु0नं0 32 के किला नं0 25 में दक्षिण दिशा मे मौके पर रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने रकबे में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता चालू नही है।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अप्रार्थीगण सुखविन्द्र सिंह आदि के द्वारा इस रिपोर्ट पर अपने एतराज पेश किये एतराज में निवेदन किया की उक्त रिपोर्ट अप्रार्थीगण को बिना सूचित किये तैयार की गई है। प्रार्थीगण के द्वारा मु0नं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 व मुं0नं0 32 के किला नं0 25 के दक्षिण दिशा में रास्ते की मांग की गई है जबकि मुं0नं0 33 के पश्चित दिशा में किला नं0 21,20,11,10 व 1 में पूर्व में ही घरू रास्ता चल रहा है यदि अप्रार्थीगण के मुं0नं0 33 की भूमि में और रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण की सारी भूमि रास्ता में चली जायेगी। इसके अलावा मुं0नं0 32 के उत्तर दिशा में चक 12 एफएफ के मुं0 नं0 59 के किला नं0 5 के उत्तर की तरफ मंजूर शुदा सड़क चल रही है जो कि प्रार्थी की भूमि के नजदीक है। अप्रार्थीगण की भूमि के साथ प्रार्थीगण मनभीर सिंह आदि की भूमि चिपती नही है। प्रार्थीगण रंजीशवंश अप्रार्थी की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। इसलिए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें। बलविन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 6 पर परमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के एतराज का जबाब पेश किया गया। जबाब रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अप्रार्थीगण को सूचित कर तैयार की गई है। यह तथ्य गलत है कि प्रार्थीगण के मु0नं0 33 के किला नं0 21.20.11.10 व 1 में पूर्व में कोई घरेलू रास्ता चल रहा हो। यह तथ्य भी गलत है कि चक 12 एफएफ के मुं0नं0 59 के साथ प्रार्थीगण की भूमि चिपती हो। एतराज प्रकरण को लम्बित करने के लिए पेश किये गये है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2)सीपीसी पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 5 व 6 का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जावें। प्रार्थना पत्र वाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के नाम हटाये जाने के आदेश दिये गये। महल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफएफ के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की प्रकरण से संबंधित मुं0नं0 33 की 5.208 हैक्0 भूमि जरिये इकरानामा दिनांक 14.02.2011 को प्रार्थी के द्वारा खरीद की गई है। इसलिए प्रार्थी इस प्रकरण में प्रभावित होने वाला पक्षकार है इसलिए प्रार्थी को प्रकरण मे पक्षकार बनाया जावें। जो बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। गुरमीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रकरण में पुनः मौका देखा जावे।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई। जो पत्र क्रमांक राजस्व/18/1077 दिनांक 27.12.2018 से प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट में गत् रिपोर्ट के तथ्य ही दोहराये गये है। प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीए पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की प्रकरण में कमीशनर नियुक्त कर मु0नं0 33 के किला नं0 21,20,11,10,1 में चल रहे रास्ते की मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें। प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई खारिज किया गया।

बहस सुनी गई वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.02.2020 को स्वयं मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के समय मौका पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मौका निरीक्षण में पाया गया कि चक 15 एफएफ के मु0नं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 व मुं0नं0 32 के किला नं0 25 की दक्षिण दिशा में मौका पर कोई रास्ता

(महेन्द्र लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

चालू नही है ओर न ही इस बीघो में पूर्व में कोई रास्ता चालू रहने के कोई निशान अथवा प्रमाण पाये गये। मौका पर इन बीघो में पूर्ण विकसित फसल खड़ी पाई गई, जबकि मौके पर मु0नं0 33 के किला नं0 21,20,11,10,1 के पश्चिम दिशा में पुराना रास्ता चालू रहने के निशान एवं प्रमाण पाये गये। प्राथीगण का अपने प्रार्थना पत्र में अंकित यह तथ्य कि चक 15 एफएफ के मुं0नं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 व मु0नं0 32 के किला नं0 25 में गत् 30-35 वर्षो से रास्ता चालू रहा है, सत्य प्रतीत नही होता है।

प्रार्थी संख्या 1 व 2 की मु0नं0 32 के किला नं0 1,2,3,4,5,6,7,8,15,16 व 25 में भूमि है जिसमें आने जाने के लिए प्रार्थी के द्वारा रास्ता की मांग की गई है। एवं इस मुं0नं0 32 में किला नं0 9 व 10 अप्रार्थी संख्या 2 भाग सिंह के नाम दर्ज है जो कि प्रार्थीगण के साथ सहमत है। मुं0नं0 33 के किला नं0 21,20,11,10,1 में पुराना रास्ता चालू है। जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि मात्र 3 बीघा दूरी पर है। तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त दोनो रिपोटो में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि मुं0नं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 व मुं0नं0 32 के किला नं0 25 में मौके पर कोई रास्ता चालू नही है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत व मौका निरीक्षण के आधार पर प्रार्थीगण के द्वारा चक 15 एफएफ के मुं0नं0 33 के किला नं0 5,6,15,16,25 में 2-2 विस्वा रास्ता व मुं0नं0 32 के किला नं0 25 की पश्चिम दिशा में 1 विस्वा रास्ता की मांग स्वीकार योग्य नही होने पर अस्वीकार की जाती है। चुंकि प्रार्थीगण को अपनी भूमि मुं0नं0 32 के किला नं0 1,2,3,4,5,6,7,8,15,16,25 में आने जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु रास्ता की आवश्यकता है, इसलिए प्रार्थीगण के रास्ते की आवश्यकता के मध्यनजर पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं मौका निरीक्षण के आधार पर चक 15 एफएफ के मुं0नं0 33 के किला नं0 21,20,11,10 व 1 की पश्चिम दिशा में चल रहे पुराना रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन सरकारी रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। चुकि यह रास्ता पुराना चल रहा है इसलिए इस रास्ते की भूमि के बदले कोई भूमि या राशि देय नही होगी। एंव चक 15 एफएफ के मुं0नं0 32 के किला नं0 21,20,11,10 की पश्चिम दिशा में 1-1 विस्वा कुल 4 विस्वा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। चुंकि मुं0नं0 32 का किला नं0 10 अप्रार्थी संख्या 2 भाग सिंह के नाम दर्ज है जो कि प्रार्थीगण के साथ सहमत है। उसे इस 1 विस्वा रास्ता भूमि के बदले कोई भूमि या राशि देय नही होगी। मुं0नं0 32 के किला नं0 21,20,11 में स्वीकृत किये गये 3 विस्वा रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थी संख्या 5 बलविन्द्र सिंह को 3 विस्वा भूमि देय होगी, जो कि प्रार्थीगण अपनी चिपती भूमि मे से देगें। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। आदेश इस आश्य का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.24 10:37:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: